Item No. 4

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
CENTRAL ZONE BENCH, BHOPAL
(Through Video Conferencing)

Original Application No. 58/2021(CZ)

Ramesh Nathani — Applicant (s)

Versus

State of Madhya Pradesh & Ors. — Respondent(s)

Date of hearing: **07.12.2021**

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SHEO KUMAR SINGH, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. ARUN KUMAR VERMA, EXPERT MEMBER

For Applicant (s): None

For Respondent(s): Mr. Sachin K.Verma, Adv.
Mr. Om Shankar Shrivastav, Adv.
Ms. Parul Bhadoria, Adv.

ORDER

1. Issues raised in this application are, construction of a colony named "City Centre Township" situated at a land bearing survey No. 52 (Old survey No. 134/774), Village Jaggakhedi, Tehsil and District Mandsaur against the provision of law, without acquiring the requisite permission from the competent authority, contrary to the provision of keeping reasonable distance from the water body and not setting up of a proper drainage system/STP, by non-applicant no.9, who is also involved in excavating soil from the water body and using this soil to construct a retaining wall. It is further alleged that, non-applicant no.9 is carrying out construction activities without obtaining the consent from the Madhya Pradesh Pollution Control

Board and contrary to the provision of EIA Notification, 2006. A substantial issue of environment has been raised.

2. The matter was taken up on 06.08.2021 and this Tribunal constituted a committee consisting of District Collector, Mandsaur and representative of MPPCB with the direction to submit factual and action taken report and the District Collector has submitted the report, which is as follows :

> "उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय एन.जी.टी. में प्रचलित प्रकरण क्रमांक 58/2021 के परिपालन में दिनांक 30.09.2021 को सीटी सेंटर टाउनशीप, सर्वे क्रमांक–52 ग्राम जग्गाखेड़ी, संजी रोड, मंदसौद, जिला– मंदसौर (म.प्र.) का संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान सीटी सेंटर टाउनशीप के कॉलोनीनाईजर श्री अनूपसिंह पिता श्री राजकुमार सिंह भदौरिया उपस्थित थे। निरीक्षण दौरान श्री अनूपसिंह भदौरिया द्वारा बाताया गया कि उनके द्वारा भूमि सर्वे क्रमांक–52 रकबा 4.60 हेक्टेयर में से 3.00 हेक्टेयर की रजिस्ट्रीकण एवं स्टॉम्प विभाग में रजिस्ट्री की गई है, जिसकी प्रति संलग्नक –1 अनुसार संलग्न है तथा कार्यालय उपसंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, नीमच (म.प्र.) से प्राप्त अनुमति की प्रति संलग्नक–2 अनुसार संलग्न है तथा कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड मंदसौर जिला मंदसौर से ''सिटी सेंटर टाउनशिप'' आवासीय अभिन्यास (प्लाटिंग) हेतु अनमति प्राप्त की गई है, जिसकी प्रति संलग्नक–3 अनुसार संलग्न है। निरीक्षण दौरान उक्त थल पर कालोनीनाईज़र द्वारा सी.सी. रोड का निर्माण कार्य किया जाना पाया गया, इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य निर्माण किया जाना नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय कालोनीनाईजर को एस.टी.पी. के शीघ्र निर्माण एवं बोर्ड स`जल एवं वायु सम्मति प्राप्त किये जाने बाबत्। ऑनलाईन आवेदन किये जाने हेतु निर्देश दिए गए, जिसका उनके द्वारा म.प्र. प्रदूषण निरयंत्रण बोर्ड में ऑनाईन स्थापना सम्मति हेतु आवेदन एंव एस.टी.पी. के निर्माण किये जाने के संबंध में प्लाटिंग कार्य शुरू करने केक पूर्व किए जाने हेतु स्वीकृति दी गई है।
>
> निरीखण दौरान श्री अनूपसिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि श्री अनिल पिता श्री प्रहलाद द्वारा उनके विरूद्ध की गई शिकायत के संबंध में पुलिस थाना वाय.डी.नगर मंदसौर जिला मंदसौर से सूना के अधिकार अधिनियम– 2005 के तहत जानकारी मांगी गई जिसके परिपेक्ष्य में पुलिस थाना वाय.डी.नगर मंदसौर जिला मंदसौर द्वारा प्रस्तुत जानकारी में श्री अनिल पिता श्री प्रहलाद दास का कोई भी व्यक्ति नहीं पाय ागया, प्राप्त जानकारी की प्रति संलग्नक–4 अनुसार संलग्न है।

माननीय एन.जी.टी. में दायर प्रकरण क्रमांक–58/2021 के संबंध में श्री अनूप भदौरिया द्वारा बताया गया कि आवेदक श्री रमेश नाथानी के विरूद्ध कूट रचना कर फर्जी दस्तावेज़ तैयार करने के संबंध में थाना प्रभारी, पुलिस थाना वाय.डी. नगर मंदसौर जिला मंदसौर में आपराधिक प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही करने बावत् सूचना पत्र की प्रति संलग्नक–5 अनुसार संलग्न है एवं निरीक्षण दौरान लिए गए फोटोग्राफ्स संलग्नक–6 अनुसार संलग्न है।

माननीय एन.जी.टी. में दायर प्रकरण क्रमांक–58/2021 में आवेदक श्री रमेश नाथानी द्वारा तालाब से मिट्टी खोदने का जिक्र किया गया। जबकि निरीक्षण दौरान टाउनशीप के आस–पास भी प्रकरण का तालाब नही ंदेखा गया यद्यपि टाउनशीप की बाउण्ड्रीवाल के समीप जल का एकत्रिकरण पाया गया जिसके परिपेक्ष्य में श्री अनूपसिंह भदौरिया द्वारा बताया गया कि उक्त जल बारीश का होने के कारण उसे ग्राम पंचायत द्वारा एक रिचार्ज पिट में एकत्र किया गया है। साथ ही टाउनशीप के बाहर बाउण्ड्रीवाल के समीप एक नाला बहता हुआ जरूर पाया गया इसके अतिरिक्त अन्य कोई जल स्त्रोत नहीं पाया गया। ”

3. As per report submitted by the District Collector there is nothing like encroachment on the water body. Further the copy of the sale deed has been filed with report which shows that the land in question was purchased by way of the sale deed and owner has not challenged it. Anyone having grievance against the sale deed or the property in the matter may approach the competent authority for cancellation of the sale deed.

4. We have also gone through the record attached with the application, Plot No. 134/774 is recorded in the name of Motilal which is annexed from page no. 29 to 33. Later on after mutation was done in the favour of Parvati and it remains in her ownership and property was transferred in her name. The perusal of the application reveals that the City Center Township was planned to be constructed in survey no. 52 of village Jaggakhedi, Tehsil and District Mandsaur, which is old survey no. 134/774, about which as already mentioned, it is in the name of the private ownership and later on transferred to another person. It is alleged in the application that the above noted survey no.

52 old survey no. 134/774 is adjacent to natural lake survey no. 147. The authorities have submitted the report that there is no encroachment on the water bodies or in the survey no. 52, there is no existence of any water body.

5. Learned Counsel appearing for the respondent/private party argued that the matter has been raised and decided by the Hon'ble High Court and the necessary permissions have been taken from the Competent Authority. We are not going to examine the validity of NOC and ownership of the property but so far as the encroachment on the water body is concerned, as per the report of the District Collector, there is no encroachment and there is no violation of the environmental norms. Accordingly, there is presently no need to interfere in the matter.

6. Original Application No.58/2021(CZ) is **finally disposed** of accordingly.

Sheo Kumar Singh, JM

Arun Kumar Verma, EM

7th December, 2021
O.A. No. 58/2021 (CZ)
K